



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ - 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-23266596
Email: roc.eko-mef@nic.in

पत्र सं० 8बी/यू०पी०/०७/११८/२०२१/एफ०सी० 754

दिनांक: 09.12.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ०प्र०।

Online Proposal No. FP/UP/Rail/41878/2019

विषय: पूर्वोत्तर रेलवे औडिहार-जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर(किमी० १.९०० से १०.९०० तक) में प्रभावित ६.५०५७२ हे० संरक्षित वनभूमि एवं ०९ वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी० १०.९०० से ५७.४०० तक) प्रभावित ४३.४१७०४ हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक १३३७ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल ४९.९२२७६ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल १३४६ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-१७००/११-सी-FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांक-१५.११.२०२२

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य शासन के पत्रांक पी-६७/८१-२-२०२१-८००(५४)/२०२१, लखनऊ, दिनांक-२२.०३.२०२१ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा-२ के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक दिनांक २०.१०.२०२२ द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गयी है। प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० का उल्लंघन हुआ है, इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना, उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम, केस प्रशमित करने सम्बन्धित प्रमाणपत्र एवं सम्बन्धित अन्य अभिलेख आदि उपलब्ध कराये गये हैं। किन्तु प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० का उल्लंघन किस अधिकारी के आदेशों से हुआ है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० का उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जिसके आदेशों से वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० का उल्लंघन हुआ है, के सम्बन्ध में सूचना/अभिलेख प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा ३ए एवं ३बी के अंतर्गत कार्रवाई की जा सके।

भवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

१. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
२. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
३. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर एवं जौनपुर।
४. अपर अभियंता/कार्य/निर्माण/बी०एस०वी०/उत्तर रेलवे वाराणसी।
५. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)